उम्र और शादी

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-II (शासन व्यवस्था) से संबंधित है।

द हिन्दू

20 दिसम्बर, 2021

महिलाओं के प्रजनन स्वास्थ्य और अधिकारों के बारे में सामाजिक जागरूकता पैदा करने पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

अच्छा इरादा अनुकूल परिणामों की गारंटी नहीं देता है। व्यापक सामाजिक समर्थन के बिना जबरदस्ती बनाये गये कानून अक्सर तब भी विफल हो जाते हैं, जब उनके उद्देश्यों और कारणों का उद्देश्य व्यापक सार्वजनिक भलाई के लिए होता है।

केन्द्रीय मंत्रिमंडल द्वारा महिलाओं के लिए विवाह की आयु 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष करने के प्रस्ताव को मंजूरी देने के कुछ ही दिनों के भीतर, सरकार ने इसे इस सप्ताह संसद में विधायी कार्य के लिए सूचीबद्ध किया। यदि यह पारित हो जाता है, तो हिंदू विवाह अधिनियम, 1955, विशेष विवाह अधिनियम, 1954 और बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 सहित भारत में अब विवाह को नियंत्रित करने वाले विभिन्न व्यक्तिगत और विश्वास-आधारित कानूनों में संशोधन करना होगा।

पिछले साल अपने बजट भाषण में, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की थी कि सरकार मातृ मृत्यु दर को कम करने, पोषण स्तर में सुधार के साथ-साथ महिलाओं के लिए अवसर सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मातृत्व में प्रवेश करने वाली लड़की की उम्र को देखने के लिए तथा उच्च शिक्षा और करियर को आगे बढ़ाने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन करेगी। इन्हीं लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए समता पार्टी की पूर्व प्रमुख जया जेटली की अध्यक्षता में पिछले साल जून में एक पैनल का गठन किया गया था। पैनल ने दिसंबर 2020 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।

हालांकि इसका उद्देश्य कागज पर अच्छा लग रहा है, केवल सामाजिक जागरूकता पैदा किए बिना शादी की उम्र बढ़ाने और स्वास्थ्य देखभाल तक पहुँच में सुधार करने से उस समुदाय को लाभ होने की संभावना नहीं है।युवा महिलाएं अभी तक आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं हैं जो पारिवारिक और सामाजिक दबाव में रहते हुए भी अपने अधिकारों और स्वतंत्रता का प्रयोग करने में असमर्थ हैं।

सुश्री जेटली के अनुसार, विवाह की आयु बढ़ाना इसकी सिफारिशों में से एक है, जिसमें पितृसत्तात्मक मानसिकता में सुधार के लिए एक मजबूत अभियान और शिक्षा तक बेहतर पहुँच शामिल है।

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (2019-2021) के अनुसार, 20-24 वर्ष की 23.3% महिलाओं की शादी 18 साल से पहले हो गई है, जो दर्शाता है कि बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006, बाल विवाह को रोकने में पूरी तरह से सफल नहीं रहा है, खासकर गरीब बच्चों के बीच।

महिला अधिकार कार्यकर्ता बताते हैं कि माता-पिता अक्सर इस अधिनियम का उपयोग अपनी बेटियों को दंडित करने के लिए करते हैं जो उनकी इच्छा के विरुद्ध शादी करते हैं या जबरन विवाह, घरेलू शोषण और शिक्षा सुविधाओं की कमी से बचने के लिए भाग जाते हैं। इसलिए, पितृसत्तात्मक व्यवस्था के भीतर, यह अधिक संभावना है कि आयु सीमा में परिवर्तन से युवा वयस्कों पर माता-पिता का अधिकार बढ़ जाएगा। बताए गए उद्देश्य को प्राप्त करने का एक अच्छा, लेकिन आसान तरीका नहीं है कि लड़कियों को जल्दी गर्भधारण के बारे में सलाह दी जाए और उन्हें उनके स्वास्थ्य में सुधार के लिए और अवसर प्रदान किया जाए।

महिलाओं के यौन और प्रजनन स्वास्थ्य और अधिकारों के बारे में सामाजिक जागरूकता पैदा करने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए, और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि लड़कियों को स्कूल या कॉलेज छोड़ने के लिए मजबूर न किया जाए। सामाजिक सुधार की राह में कानून शार्टकट नहीं हो सकते।

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

प्र. लड़कियों की विवाह की न्यूनतम आयु सीमा को बढाने को लेकर निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया था?

(a) जया जेटली

(b) जया बच्चन

(c) स्मृति ईरानी

(d) निर्मला सीतारमेन

Expected Question (Prelims Exams)

Q. Under whose chairmanship the committee was constituted to raise the minimum age limit for marriage of girls?

(a) Jaya Jaitley

(b) Jaya Bachchan

(c) Smriti Irani

(d) Nirmala Sitharaman

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्र. हाल ही में लड़कियों की विवाह की न्यूनतम आयु सीमा को बढाने पर विचार किया जा रहा है। इस प्रस्ताव के पीछे क्या कारण उत्तरदायी हैं? क्या यह प्रस्ताव तार्किक है? परीक्षण कीजिए। (250 शब्द)

Q. Recently, there is a consideration to increase the minimum limit of marriage of girls. What are the reasons behind this proposal? Is this proposal logical? Examine.

(250 Words)

नोट :- अभ्यास के लिए दिया गया मुख्य परीक्षा का प्रश्न आगामी UPSC मुख्य परीक्षा को ध्यान में रख कर बनाया गया है। अतः इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए आप इस आलेख के साथ-साथ इस टॉपिक से संबंधित अन्य स्त्रोतों का भी सहयोग ले सकते हैं।